बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं0सं0–05/स्था0 (मुक0)–02/2017 **पटना दिनांक–**

आदेश

जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के 5 पदों पर गैर सम्वर्गीय प्रोन्नत्ति हेतु विभागीय पत्रांक–4133 दिनांक–10.09.2007 द्वारा विभागीय जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के पदों पर प्रोन्नत्ति हेतु परिवहन विभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत इच्छुक उच्च वर्गीय लिपिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। आवेदन समर्पित करने का कट ऑफ डेट 23.10.2007 तक निर्धारित की गई थी। साथ ही उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त पत्र के आलोक में पात्र संवर्गो से कुल 28 उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए। उसमें श्री अशोक कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। प्राप्त आवेदन में 2 कर्मी का झारखंड कैडर आवंटित था और 1 की मृत्यु हो गई थी तथा 19 सेवानिवृत हो चुके थे। शेष 6 कर्मी जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के पद पर प्रोन्नत्ति देने हेतु विचारण के योग्य पाए गए। इसमें से 2 सांख्यिकी संवर्ग से तथा शेष 4 लिपिकीय संवर्ग के कर्मी थे। सांख्यिकी संवर्ग की वरीयता पूर्व से निर्धारित थी किन्तु लिपिकों की समेकित वरीयता सूची निर्धारित नहीं रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के पद पर प्रोन्नत्ति देने हेतु विभागीय प्रोन्नत्ति समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करने हेतु विचारण क्षेत्र में आनेवाले आवेदन प्राप्त उच्च वर्गीय लिपिकों की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित करते हुए विभागीय पत्रांक–7496 दिनांक–27.12.2016 द्वारा इस पर आपत्ति की माँग की गई।

श्री अशोक कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना ने निर्धारित कट ऑफ डेट 23.10.2007 तक कोई आवेदन नहीं दिया था लेकिन इनके द्वारा औपबंधिक वरीयता सूची पर आपत्ति की गई। श्री सिंह द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के पद पर प्रोन्नत्ति द्वारा नियुक्ति के लिए लिपिक सम्वर्ग की औपबंधिक वरीयता सूची में नाम शामिल किये जाने के अभ्यावेदन को विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–696, दिनांक–14.02.2017 द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि उक्त पद पर प्रोन्नत्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की निर्धारित समय–सीमा दिनांक–23.10.2007 तक इनके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC सं0–1559/2017 अशोक कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दाखिल किया गया। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–21.03.2018 को आदेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्न है :–

"The learned counsel for the petitioner submits that the petitioner would be satisfied in case he is granted a liberty to file representation before the respondent no. 3 and the respondent no. 3 may be directed to dispose of the representation of the petitioner within a specified time frame.

In view of the aforesaid, it is directed that the petitioner shall file a representation before the respondent no. 3 within a period of two weeks from today regarding his grievances pertaining to grant of promotion to the post of District Transport Officer and the respondent no. 3 shall dispose of the same within a period of four weeks thereafter especially taking into account the fact that those persons similarly situated, even juniors to the petitioner herein, have already been granted promotion to the said post of District Transport Officer and moreover there are ample number of vacant posts.

The writ petition is disposed of on the aforesaid terms."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में श्री अशोक कुमार सिंह को अपना पक्ष राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में श्री सिंह दिनांक–29.05.2018 को उपस्थित हुए। उन्होनें अपना मौखिक पक्ष रखा तथा अपने दावे के संदर्भ में मुख्यतः निम्न बातें रखी गई :–

1. वरीयता सूची के निर्धारण में वरीयता निर्धारण के सिद्धान्त एवं नीति निर्धारण का अनुपालन नहीं किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के पद पर प्रोन्नत्ति के प्रयोजन से समेकित वरीयता सूची के आधार पर चयन की जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

2. सेवा संपुष्ट लिपिको को ही वरीयता सूची में स्थान दिया जाता है परन्तु इसकी अनदेखी करते हुए श्री सबल कुमार तथा मो0 सादिक जफर को स्थान दिया गया।

3. आवेदन आमंत्रित किये जाने की तिथि के समय श्री सबल कुमार एवं मो0 सादिक जफर विभागीय परीक्षा में अंतिम स्तर से उतीर्ण नहीं हुए थे अर्थात उस समय उक्त कर्मी प्रोन्नत्ति के निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करते थे फिर भी इनको प्रोन्नत्ति दी गई।

4. श्री शशि शेखरम्, सांख्यिकी द्वारा भी समय पर आवेदन नहीं दिया गया था, परन्तु CWJC No- 16412/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–22.11.2013 के आलोक में श्री शशि शेखरम् सांख्यिकी की उम्मीदवारी पर विचारण करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत्ति दी गई।

5. इनका कहना था कि इनके मामले में CWJC No- 3558/2012 के आदेश दिनांक–17.04.2012 के द्वारा सभी अनुषांगिक लाभ देने का निदेश दिया गया है इसके आधार पर मुझे जिला परिवहन कार्यालय के पद पर प्रोन्नत्ति दी जाय।

6. श्री सिंह द्वारा यह भी कहा कि वे श्री सबल कुमार एवं मो0 सादिक जफर, उच्च वर्गीय लिपिक से वरीय हैं अतः वरीयता के आधार पर इन्हें भी प्रोन्नत्ति दी जाय।

उपर वर्णित सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुशीलन में यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के पद पर प्रोन्नत्ति हेतु समय पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, इससे स्पष्ट है कि श्री सिंह जिला परिवहन पदाधिकारी (कनीय) के पद पर प्रोन्नत्ति के इच्छुक नहीं थे।

अतः श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत दावे को विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/ –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05/स्था0 (मुक0)–02/2017 3627 पटना दिनांक– 1/6/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/श्री अशोक कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31.05.18
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।